न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

(**A**) राजस्व वाद संख्याः– 140/2008 (गत नम्बर 194/2005)

वादीगण

1. भगवतीदेवी पत्नी मंगलचन्द बरवड़ जाति मेघवाल निवासी राजपूत मोहल्ला, किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दोलाराम पुत्र उदाराम
2. चौथीदेवी पत्नी स्व. प्रेमाराम
3. मुकेश पुत्र कानाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली दादी प्रति. सं. 2
4. पप्पू पुत्र लालाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली दादी प्रति. सं. 2
5. श्रीमति कमलादेवी पत्नी मेवाराम
6. अनिल पुत्र स्व. मेवाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति कमलादेवी पत्नी मेवाराम
7. सुनिल पुत्र स्व. मेवाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति कमलादेवी पत्नी मेवाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासियान प्रेमराज जी का बांसड़ा कुचामनसिटी
8. श्रीमति कजोड़ी पत्नी स्व. गोपी जाति कुम्हार निवासी प्रेमराज जी का बांसड़ा कुचामनसिटी फौत के कायम मुकाम :–
   8/1 जीवणराम गोद पुत्र स्व. कजोड़ी पत्नी स्व. गोपी जाति कुम्हार प्रेमराज जी का बांसड़ा कुचामनसिटी
9. तहसीलदार कुचामनसिटी
10. तहसीलदार नावां

वाद वास्ते खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 88 व 53 188 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री विजयसिंह अधिवक्ता वादीया की ओर से।

श्री देवीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से।

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 8 की ओर से।

(**B**) *राजस्व वाद संख्याः– 171/2006*

वादीगण

1. कजोड़ी पत्नी स्व. गोपी जाति कुम्हार नि. कुचामनसिटी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1 जीवणराम गोद पुत्र स्व. कजोड़ी पत्नी स्व. गोपी जाति कुम्हार कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दोलाराम पुत्र उदाराम
2. चौथीदेवी पत्नी स्व. प्रेमाराम
3. मुकेश पुत्र कानाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली दादी चौथीदेवी बैवा प्रेमाराम
4. पप्पू पुत्र लालाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली दादी चौथीदेवी बैवा प्रेमाराम

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

5. श्रीमति कमलादेवी पत्नी मेवाराम
6. अनिल पुत्र स्व. मेवाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति कमलादेवी पत्नी मेवाराम
7. सुनिल पुत्र स्व. मेवाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति कमलादेवी पत्नी मेवाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासियान प्रेमराज जी का बांसड़ा कुचामनसिटी भगवतीदेवी पत्नी मंगलचन्द बरवड़ जाति मेघवाल निवासी राजपूत मोहल्ला, नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेरे (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)
9. तहसीलदार नावां
10. उप पंजीयक कुचामनसिटी

वाद वास्ते खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 88 व 53 188 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री देवीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से।

श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रति. सं. 8 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 27/1/17

प्रस्तुत दोनो वाद एक ही भूमि को लेकर इस न्यायालय में विचाराधीन है जिनको समकित किया जाकर सुनवाई की गई। प्रथम वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज चली आ रही है। पक्षकारान ने आपसी सहकति से मौके पर प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार मार्क अ विवादित कृषि भूमि के दक्षिणी हिस्से में 1/4 हिस्से मे प्रतिवादीगण सं. 8 मार्क ब से दर्शित आराजी भूमि के मध्य भाग 1/2 हिस्से मे तथा प्रतिवादीगण 1 से 7 मार्क स से दर्शित 1/4 हिस्से पर सामूहिक रूप से विवादित आराजी कृषि भूमि के उत्तरी हिस्से में काबिज चले आ रहे है। वादीया ने उपरोक्त कृषि भूमि जरिये पंजिबद्व विक्रय पत्र के उपरोक्त भूमि के 1/4 हिस्से के विरासत खातेदारान पतासी पत्नी डालूराम नेनूराम श्रवणराम पुत्रान स्वत्र डालूराम मेघवंशी से क्रय की है, उपरोक्त 1/4 हिस्से में राजस्व रेकार्ड में वादिया जरिये नामान्तरकरण सं. 1952 दिनॉक 29.11.2005 के आयी है। वादीया के उपरोक्त कृषि भूमि के विक्रेतागण तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 एक ही खानदान के सदस्य होने से सभी को उपरोक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी थी, जिनका सजरा खानदान व हिस्सा निम्नवत है:–

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

हरकचन्द (फौत उपरोक्त खाते में 1/2 हिस्सा)

उदाराम (फौत) 1/4 हिस्सा

डालुराम (फौत) 1/4 हिस्सा

दौलाराम 1/8 हिस्सा प्रेमाराम (फौत 1/8 हिस्सा) पतासी (पत्नी) नेनूराम पुत्र श्रवणराम पुत्र

वादिया को सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा विक्रित

चौथी देवी जेठू (ना.ओ. फौत) वीरा (फौत) लालाराम (फौत) कानाराम (फौत)

पप्पू मुकेश

प्रतिवादी संख्या एक ने अपने हिस्से में से 0.16 हैक्टर भूमि के अधिकार विक्रय मेवाराम पुत्र नाथूराम मेघवंशी को कर दिये थे मेवाराम के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है, प्रतिवादीगणं संख्या 5 ता 7 राजस्व रिकार्ड पर नही है,लेकिन मौके पर काबिज है प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की एलानिया धमकी दे डाली तथा कृषि भूमि का दक्षिणी भू–भाग नजरी नक्शा में पटिट्या गाड़ कर पुख्ता सींव नींव कायम कर काबिज है तथा 1.705 हैक्टर अर्थात कुल मे से 1/4 हिस्से पर काबिज है। वादीया की इस्तदुआ है कि उभय पक्षकारान का खाता विभाजन विधिवत पक्षकारान के हिस्से अनुसार मौके पर उनके नाप चौक व कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार किया जावे, प्रतिवादीगण 1 ता 8 को उसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नजरी नक्शे में दर्शित मार्क "अ" भाग दक्षिण हिस्से से बेदखल नही करे तथा किसी प्रकार का खलल उनके कब्जे व भूमि सुधार व काश्त कार्य मे नही पहुंचाये इस आशय की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण तथा वादीया के पक्ष मे फरमावे।

द्वितिय वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर मे वादिया के पति गोपीराम आजीवन बहैसियत खातेदार कृषक काबिज रहे तथा गोपीराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके 1/2 हिस्सा की वादिया बहैसियत उत्तराधिकारी खातेदार कृषक काबिज है तथा 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार प्रेमाराम दौलाराम पुत्र उदाराम तथा डालू पुत्र हरकचन्द मेघवंशी के खातेदारी की रही। वादीया के पति दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज रहे जिस पर वादीया काबिज है तथा उत्तरी तरफ 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रेमाराम दौलाराम व डालूराम मेघवंशी काबिज है। वादीया के पति व दौलाराम व उसके भाईयो के बीच कभी विधिवत विभाजन नही हुआ था फिर भी आपसी सुविधा से वादीया के पति व दौलाराम प्रेमाराम वगैरह उपरोक्त अनुसार अलग अलग काश्त कर काबिज रहे है। प्रतिवादी दौलाराम ने बिना विधिवत विभाजन के अपने हिस्से मे से नवीन खसरा नम्बर 1408

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

मे से 0.16 हैक्टर भूमि करीब 8 वर्षो पूर्व श्री मेवाराम पुत्र नाथूराम मेघवंशी को जरिए पंजिबद्व बेचान कर दी थी, मेवाराम के स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त 0.16 हैक्टर भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण कमलादेवी अनिल सुनिल काबिज है। प्रतिवादी दौलाराम के भाई प्रेमाराम का भी स्वर्गवास हो गया है प्रेमाराम की औरत प्रतिवादी चौथूदेवी मौजूद है तथा प्रेमाराम के पुत्रो का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी मुकेश पप्पू उसके हकदार है। दौलाराम प्रेमाराम के पिता उदाराम के सगे भाई डालुराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान पतासीदेवी बहैसियत पत्नी व नेनूराम श्रवणराम बहैसियत पुत्र उत्तराधिकारी दर्ज हुए जिससे उक्त भूमि मे 1/4 हिस्सा दौलाराम, प्रेमाराम का व 1/4 हिस्सा डालुराम का रहा था जो उनके वारिसान के नाम हुआ। दौलाराम द्वारा उपर्युक्त 0.16 हैक्टर भ्झूमि खसरा नम्बर 1408 मे से विक्रित कर देने से उसके हक की भूमि कम हो गई। 1/4 हिस्सा के खातेदार मृतक डालूराम के वारिसान द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा बिना विधिवत भू–विभाजन के जरिए पंजिबद्व विक्रय पत्र बेचान प्रतिवादी भगवती देवी के हक में दिनॉक 18.11.2005 को कर दिया गया जिसकी उसके नाम नामान्तरकरण होकर खातेदारी अभिलिखित हो गई। उपर्युक्त भूमि के उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा अब प्रतिवादीगण 1 ता 8 के संयुक्त अधिकारो की है तथा दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा वादिया के कब्जा व अधिकारो की है। वादिया के 1/2 हिस्स के खातेदार हक हकूक में प्रतिवादीगण 1 ता 8 का कोई लेना देना या धिकार कभी नही रहे है। वादीया ने अपनी उक्त भूमि के चारो तरफ सीमाबंदी कर रखी है तथा रहवासी झूंपे, छप्पर इत्यादि बना रखे है कुछ दिनो पूर्व तारबंदी भी कर ली है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खड़े अनावश्यक झाड़ इत्यादि भी हटाए गए है। प्रतिवादीगण को विधिवत बंटवारा की कही तो उन्होने इंकार कर दिया तथा वे कागजो के इन्द्राज के आधार पर वादीया के भौतिक कब्जा की भूमि के हद हदूद से हटाकर बेदखल करने की कहने लगे। वादीया की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर मे से दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा अर्थात 3.41 हैक्टर भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा वादीया की सेपरेट होल्डिंग कायम की जाने एवं लगान में बंटवारा की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा इसी माफिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को आज्ञा प्रदान करावे, खसरा नम्बर 1408, 2571/1357, 2572/1347 कुल रकबा 6.82 हैक्टर मे से दक्षिणी तरफ 3.41 हैक्टर भूमि मे वादिया के भौतिक कब्जा काश्त व अधिकारो में प्रतिवादीगण 1 ता 8 न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल डाले तथा नही अपने एजेन्टो से डलवाए तथा प्रतिवादीगण 1 ता 8 द्वारा उक्त भूमि बाबत या अन्य हस्तानान्तरण पत्रया रूपान्तरण इत्यादि का दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

संख्या 10 पंजीयन हेतु स्वीकार नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

दोनो ही प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में प्रस्तुत होकर दिनॉक 14.12.05 एवं 30.11.2006 को दर्ज होकर सुनवाई चालू की गई। दोनो प्रकरण एक ही भूमि को लेकर होने से प्रकरण संख्या 140/08 गत मु.नं 194/05 भगवतीदेवी बनाम दौलाराम एवं मु. नं. 171/2006 कजोड़ीदेवी बनाम दौलाराम को न्यायालय आदेशिका दिनॉक 26.06.2007 को समेकित किया जाकर दोनो प्रकरणो की एक साथ सुनवाई की गई। कजोड़ी देवी द्वारा दिनॉक 03.04.2007 को जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी दौलाराम चौथीदेवी मुकेश पप्पू द्वारा दिनॉक 12.09.2007 को जवाब दावा प्रस्तुत किया, भगवती देवी द्वारा दिनॉक 25.10.07 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा उपस्थित आये परन्तु कोई जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया, प्रतिवादी कमलादेवी अनिल सुनिल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी दिनॉक 24.06.2008 को तनकियात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्य स्तर पर रहा। तत्पश्चात न्यायालय सहायक कलक्टर कुचामनसिटी नवक्रमोन्नत होने से प्रकरण कुचामनसिटी के क्षेत्राधिकार का होने से पत्रावलिया स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। प्रकरण में अलग अलग तरह के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये जिनका सुनवाई कर यथासमय निस्तारण किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2058–2061,2062–2065, 2066–2069, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2008–2027 की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल की प्रति, परिवार कार्ड 1996–2000 मूल प्रति, मूल गोदनामा दस्तावेज संख्या 49/1986 दिनॉक 27.12.1986 की प्रति, ए.सी.जे.एम. न्यायालय परबतसर के प्रकरण हनुमान बनाम जीवणराम की नकल, बेचान दस्तावेज 2467/2011 दिनॉक 24.06.2011 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार कुचामनसिटी के प्रकरण संख्या 01/2011 हनुमान बनाम जीवणराम वगैरह में पारित आदेश 20.06.2011 की प्रमाणित नकल,परिवार कार्ड फार्म की नकल, माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, परबतसर के प्रकरण संख्या 22/2010 दीवानी मूल निर्णय दिनॉक 27.05.2015 की प्रमाणित नकल, प्रकरण सं.132/2006 कजोड़ी बनाम दौलाराम मे प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनॉक 18.04.2007 की प्रमाणित प्रति, कजोड़ी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, प्रस्तुत की।

मौखिक साक्ष्य में जीवणराम दत्तक पुत्र कजोड़ीदेवी पत्नी गोपीराम कुम्हार नि. कुचामनसिटी का शपथ–पत्र, भगवतीदेवी पत्नी मंगलचन्द जाति मेघवाल नि. किशनगढ़ जिला अजमेर का शपथ–पत्र, गवाह हरीश पुत्र मंगलचन्द जाति मेघवाल हाल कुचामनसिटी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। दिनॉक 24.01.2017 को पक्षकार भगवतीदेवी की ओर से उसके आम मुख्त्यार भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी केरपुरा तथा जीवणराम दत्तक पुत्र कजोड़ी पत्नी गोपीराम कुम्हार कुचामनसिटी द्वारा लिखित में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जीवणराम की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र 151 सी.पी.सी.के तहत प्रस्तुत कर धारा 88 वाद मे जोड़ने का प्रस्तुत किया, जिस पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ को सुना गया, जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की, जिसे स्वीकार कर मूल वाद मे धारा 88 जोड़ी गई। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का कथन उभय पक्षकारान द्वारा किया गया।

सम्बन्धित पक्षकारान द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपने अपने हिस्से अलग घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा अपना अपना 1/2 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा पृथक किये जाने का निवेदन किया है। राजीनामा दिनॉक 24.01.2017 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर मे डालूराम पुत्र हरकचन्द जाति मेघवंशी के उत्तराधिकारी वारिसान पतासीदेवी पत्नी डालूराम नेनूराम श्रवणराम पुत्र डालूराम जाति मेघवंशी ने जरिए विक्रय पत्र वादी भगवतीदेवी को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया है जहा में वह काबिज चली आ रही है व 1/2 हिस्सा कब्जा व खातेदारी कि भूमि प्रतिवादी सं. 8 कजोड़ी बैवा गोपीराम जाति कुम्हार की दर्ज चली आ रही थी उनके स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर गोदी पुत्र जीवणराम काबिज खातेदार चला आ रहा है उसी के अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा दक्षिणी तरफ कजोड़ी के पति स्व. गोपीराम बहैसियत काबिज खातेदार रहे है तत्पश्चात कजोड़ी एवं वर्तमान में विधिक वारिस जीवणराम काबिज है। मौके पर खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर मे वादीया भगवती व प्रतिवादी 1 ता4 का 1/2 व प्रतिवादी कजोड़ी के उत्तराधिकारी गोदी पुत्र जीवणराम को 1/2 हिस्सा शामलाती रहेगा व खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर दक्षिणी तरफ की 3.17 हैक्टर भूमि जीवणराम दत्तक पुत्र कजाड़ी पत्नी गोपीराम की व उसके पास लगती हुई 0.16 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की व 0.6325 हैक्टर प्रतिवादी दौलाराम की व उसके लगती हुई 1. 585 हैक्टर भूमि वादीया भगवतीदेवी की व उसकी उत्तरी तरफ की 0.7925 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 की रहेगी जिसका नजरी नक्शा राजीनामा में अंकित है। नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कियाकजाकर खातेदारी घोषणा की जाकर सेपरेट खातेदारी दर्ज की जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे। जीवणराम के अधिवक्ता द्वारा लिखित में बहस प्रस्तुत की तथा भगवतीदेवी के अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस की गई। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा कथन किया है कि वाद पत्र प्रस्तुत के समय जमाबन्दी की स्थिति अनुसार तथा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का कथन किया है। वाद प्रस्तुती के समय से अब तक किसी प्रकार के बेचान, नामान्तरकरण को शून्य करार घोषित किये जावे, चूँकि वाद विचाराधीन रहते हुए यदि किसी प्रकार के गलत रूप से इन्द्राज इत्यादि हुये है तो वे शून्य करार घोषित की श्रेणी में आते है, किसी भी प्रकार का अन्तरणः बेचान इत्यादि सक्षम

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय की स्वीकृति के नही हो सकते। इसलिए मौके पर पक्षकारान राजीनामा में अंकित नजरी नक्शा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का कथन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 397 रकबा 32 बीघा 2 बिस्वा भूमि उदा डालू पि. हरचन्द कौम भांबी सा. बांसडा खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2058–2061 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर में मेवाराम पुत्र नाथूराम जाति मेघवंशी सा. आसपुरा हिस्सा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 1408 मे से दौलाराम पुत्र उदा के हिस्से मे से प्रेमाराम दौलाराम पि.उदा डालू पुत्र हरकचन्द हि.1/2 जाति मेघवंशी कजोड़ी बैवा गोपी कुम्हार 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है तथा नामा.1795 स्वीकृति दिनॉक 14.06.2005 के द्वारा डालू पुत्र हरकचन्द मेघवंशी के फौत होने पर उसके स्थान पर पतासीदेवी पत्नी डालू नेनूराम श्रवणराम पि.डालू मेघवंशी का नाम दर्ज किया गया। नामा.सं. 1952 दिनॉक 29.11.15 के द्वारा पतासीदेवी पत्नी डालू नेनूराम श्रवणराम पि.डालू मेघवंशी द्वारा बेचान करने पर उसके स्थान पर श्रीमति भगवतीदेवी धर्म पत्नी मंगलचन्द बरवड़ जाति मेघवाल सा. राजपूत मौहल्ला नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर का नाम दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2062–2065 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर में मेवाराम पुत्र नाथूराम जाति मेघवंशी सा. आसपुरा हिस्सा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 1408 मे से दौलाराम पुत्र उदा के हिस्से मे से प्रेमाराम दौलाराम पि.उदा डालू पुत्र हरकचन्द हि.1/2 जाति मेघवंशी कजोड़ी बैवा गोपी कुम्हार 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है नामा.सं. 1952 दिनॉक 29.11.15 के द्वारा पतासीदेवी पत्नी डालू नेनूराम श्रवणराम पि.डालू मेघवंशी द्वारा बेचान करने पर उसके स्थान पर श्रीमति भगवतीदेवी धर्म पत्नी मंगलचन्द बरवड़ जाति मेघवाल सा. राजपूत मौहल्ला नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर का नाम दर्ज किया गया। नामा.सं.4004 दिनॉक 21.6.2011 द्वारा श्रीमान तहसीलदार कुचामनसिटी के निर्णय की पालना में कजोड़ी बैवा गोपी मृतक के स्थान पर हनुमान जीवणराम केसाराम लालाराम पुत्रान बालू आशादेवी भंवरी पुत्रिया बालू तीजादेवी पत्नी बालू जाति कुम्हार सा. कुचामनसिटी दर्जकिया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–2069 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर में मेवाराम पुत्र नाथूराम जाति मेघवंशी सा. आसपुरा हिस्सा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 1408 मे से दौलाराम पुत्र उदा के हिस्से मे से प्रेमाराम दौलाराम पि. उदा जाति मेघवंशी भगवती देवी पत्नी मंगलचन्द बरवड़

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

जाति मेघवाल सा. राजपूत मौहल्ला किशनगढ़ जिला अजमेर हि.1/2 कजोड़ी बैवा गोपी कुम्हार 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है। नामा.सं. 4004 दिनॉक 21.6.2011 द्वारा श्रीमान तहसीलदार कुचामनसिटी के निर्णय की पालना में कजोड़ी बैवा गोपी मृतक के स्थान पर हनुमान जीवणराम केसाराम लालाराम पुत्रान बालू आशादेवी भंवरी पुत्रिया बालू तीजादेवी पत्नी बालू जाति कुम्हार सा. कुचामनसिटी दर्जकिया गया। नामा. संख्या 4103 दिनॉक 24.01.2013 बेचान से हनुमान केशाराम लालाराम पि. बालू तीजादेवी पत्नी बालू आशादेवी भंवरीदेवी पुत्रिया बालू जाति कुम्हार के सम्पूर्ण हिस्से के स्थान पर भींवाराम पुत्र मल्लाराम जाति जाट सा. बूड़सू अमराराम पुत्र हेमाराम जाति जाट सा. नान्दोली बास मनोज कुमार पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट तहसील मकराना मेघराज पुत्र रूपचन्द जाति सुनार सा. बिंचावा मदनलाल पुत्र जुगलकिशोर बलारा सा. गाढ़ा बास तह. डीडवाना जेठाराम पुत्र मगनाराम जाति जाट सा. रावां खातेदार का नाम दर्ज किया गया। प्रस्तुत राशन कार्ड संख्या 110 वार्ड 25 शहर कुचामनसिटी 1996–2000 में कजोड़ी बेवा गोपीराम धनजी का बाग कुचामनसिटी में कजोड़ी के साथ जीवणराम का नाम एवं पुत्र अंकित है। माननीय ए.सी.जे.एम. न्यायालय परबतसर के प्रकरण सं. 53/2010 हनुमानराम बनाम जीवणराम में हनुमानराम द्वारा वाद जरिये विड्रो खारिज कराया गया जिसमे प्रतिवादी के विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही है। बेचान दस्तावेज संख्या 2011002467/24.06.2011 अनुसार हनुमान केशाराम लालाराम पि. बालू तीजादेवी पत्नी बालू आशादेवी भंवरी पुत्रिया बालूराम कुमावत द्वारा बेचान रूपये 3683000/ में भींवाराम पुत्र मल्लाराम जाति जाट सा. बूड़सू अमराराम पुत्र हेमाराम जाति जाट सा. नान्दोली बास मनोज कुमार पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट तहसील मकराना मेघराज पुत्र रूपचन्द जाति सुनार सा. बिंचावा मदनलाल पुत्र जुगलकिशोर बलारा सा. गाढ़ा बास तह. डीडवाना जेठाराम पुत्र मगनाराम जाति जाट सा. रावां को किया गया है। गोदनामा दस्तावेज संख्या 49/86 दिनॉक 27.12.1986 अनुसार कजोड़ी बैवा गोपी कुम्हार द्वारा अपने पति के भाई बालूराम के जायन्दा पुत्र जीवणराम को गोद लिया है, जो उप पंजीयक कुचामनसिटी के यहॉ पंजिबद्व हुआ है। तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ अन्तर्गत धारा 135 (2) राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्या 1/2011 हनुमान बनाम जीवणराम में पारित आदेश दिनॉक 20.06.2011 अनुसार *"नामा. संख्या 4004 में विवादित गोदनामा के आधार पर एक मात्र जीवण को उत्तराधिकारी मानते हुये दर्ज किया गया है" के स्थान पर उपरोक्तानुसार हिन्दू विधि के अनुसार उसके निकटतम वारिसान हनुमान तीजादेवी जीवणराम भंवरीदेवी केसाराम लालाराम आशादेवी के नाम समान रूप से बहिस्सा बराबर अभिलिखित किये जाने के आदेश जारी किय जाते है, उक्त नामान्तरकरण माननीय न्यायालय अपन जिला एवं सत्र न्यायाधीश परबतसर में विचाराधीन प्रकरण में गोदनामा के आधार पर विधिक वारिसान क घोषणा किये जाने के अध्यधीन राजस्व रेकार्ड को आदिनॉक किये जाने के उदेश्य से मृतका कजोड़ी के निकटतम वारिसान के नाम दर्ज कर निस्तारण किया जा रहा है। "* इसी आधारा पर नामान्तरकरण दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

किया गया। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, परबतसर जिला नागौर के प्रकरण संख्या 33/2010 हनुमानराम बनाम जीवणराम वगैरह में पारित आदेश दिनॉक 27.05.2015 अनुसार वाद साबित नही होने से खारिज किया गया। प्रकरण संख्या 132/06 कजौड़ी बनाम दौलाराम वगैरह में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 18.04.2007 अनुसार खसरा नम्बर 1408 की उत्तरी तरफ की 3.17 हैक्टर भूमि प्रेमाराम वगैरह 1/2 हिस्से के खातेदारी की है तथा खसरा नम्बर 1408 की दक्षिणी तरफ की 3.17 हैक्टर भूमि कजोड़ी बेवा गोपीराम जाति कुम्हार की है, नजरी नक्शे मे ए बी स्थान पर एक झूंपा बना हुआ है ,सी स्थान पर एक छपरा बना हुआ है जो कजोड़ी बैवा गोपरी कुम्हार ने बनवाया है झूंपे व छपरे के उत्तर की तरफ 2 बीघा में प्याज की फसल खडी है तथा एक बीघा में तरबूज की फसल खड़ी है जो जीवणराम पुत्र बालूराम ने बोई है शेष रकबे में गेहूँ की फसल बोई हुई थी, जो वर्तमान में कट चुकी है के तथ्य अंकित है। जीवणराम के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल है जिससे खातेदारान के अधिकार तय नही होते है , अधिकार केवल नियमित वाद मे तय होते है एक अन्य प्रकरण कैलाशचन्द बनाम अलमे 2008 (2)आर.टी. 936 निर्णय में भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है और स्वतः अथवा अधिकार प्रदान नही करता है व दिनॉक 24.06.2011 को भूमि क्रय करना बताया है जबकि वादी कजोड़ी देवी बनाम दौलाराम व भगवतीदेवी बनाम दौलाराम सं. 2005 से जेर तजबीज है वाद पत्रो के जेर तजबीज रहते वादग्रस्त भूमि के बाबत कोई विक्रय पत्र तकमिल किया गया है तो वह सम्पति हस्तानान्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत **Lis pending of suite** के सिद्वान्त से प्रभावित होने से स्वतः अवैध एवं शून्य है .....2007 राज. 73 जयपुर बैंच द्वारा शिवकुमार शर्मा बनाम शोभागदेवी वगैरह के वह सम्पति अधिनियम की धारा 52 के तहत बेचान नामा को अवैध माना गया है व उपरोक्त भूमि बाबत हनुमानराम ने एक सिविल न्यायालय की वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर के यहॉ घोषणा का पेश किया जिसमे अपने आप को गोदी पुत्र की घोषणा कराने बाबत जो दिनॉक 27.05.2015 को खारिज हो चुका है जिसमे हनुमानराम अपने आप को गोदी पुत्र साबित नही कर सका,तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा नामान्तरकण 4004 दिनॉक 21.06.2011को भरा गया जिसमे कोई अधिकार तय नही होते है उसके बावजूद ही नामान्तरकरण कराकर उक्त भूमि का बेचान किया गया है जबकि ऐसा बेचान शुरू से ही **Null & void** व शून्य है इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण सं. 4004 के द्वारा जीवणराम के अलावा दर्ज खातेदारो का उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही बंट की जो भी बेचान नामा व नामान्तरकरण की कार्यवाही को शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है व उक्त भूमि मे से उनका नाम हटाकर उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा कजोड़ी पत्नी गोपीराम के स्थान पर जीवणराम गोद पुत्र कजोड़ी पत्नी गोपीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व नामान्तरकरण सं. 4004 के बाद मे जो भी अंकन हुआ है उसको निरस्त कियाजावे व उसके आधार पर जो भी कार्यवाही की गयी व बेचान सं.2011002467 दिनॉक 24.06.2011 को

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

शून्य करार घोषित कियाजाकर खातेदारी मे से नाम हटाकर जीवणराम दत्तक पुत्र कजोड़ी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे उक्त पत्रावली में राजीनामा पेश किया गया उसी अनुसार बंटवारा करके **Seprate Holding** कायम करके नक्शा ट्रेस व खातेदारी में दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि कजोड़ी पत्नी गोपीराम के विधिक वारिस के रूप मे जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा से जीवणराम के अधिकार तय होते है तथा प्रश्नगत भूमि में दौराने वाद नामा. 4004 एवं उसके बाद की सभी प्रविष्टियां शून्य करार योग्य है। मौका रिपोर्ट मुताबिक भी दक्षिणी हिस्से की भूमि 3.17 हैक्टर पर कजोड़ी का कब्जा रहता आया है। हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयो में प्रकरण भी खारिज हो चुके है। मुताबिक राजीनामा वाद काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार वाद डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 6.82 हैक्टर में राजीनामा में अंकित नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 2571/1357 रकबा 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 2572/1347 रकबा 0.20 हैक्टर में वादीया भगवतीदेवी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी कजोड़ी के दत्तक पुत्र जीवणराम का 1/2 हिस्सा शामलाती रहेगा, खसरा नम्बर 1408 रकबा 6.34 हैक्टर दक्षिणी तरफ की 3.17 हैक्टर भूमि जीवणराम दत्तक पुत्र कजोड़ी व उसके पास लगती हुई 0.16 हैक्टर प्रतिवादी 5 से 7 की व 0.6325 हैक्टर प्रतिवादी सं.1 दौलाराम की व उसके लगती हुई 1.585 हैक्टर भूमि वादिया भगवतीदेवी की व उसकी उत्तरी तरफ 0.7925 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 2 से 4 की रहेगी। इसके अलावा जमाबन्दी में इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 4004 एवं 4103 को शून्य करार घोषित किये जाते है। राजीनामा में अंकित नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 27/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कुचामन सिटी (नागौर)